कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,उज्जैन(म0प्र0)

//परिपत्र//

-5 MAY 2025

क्रमांक-311/दो-12-13/25 (फा.45) उज्जैन, दिनांक.........मई, 2025

दिनांक 19.05.2025 से 13.06.2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को मिलने वाले **एक सप्ताह** के विशेष अवकाश का लाभ लिए जाने के संबंध में निर्देशित किया जाता हैं कि :-

1- **विशेष अवकाश अधिकतम 01 सप्ताह का दिया जावेगा, जो सोमवार से रविवार तक निरंतर स्वीकृत किया जावेगा। टुकड़ो-टुकड़ो में स्वीकृत नही किया जावेगा।**

2- कर्मचारियों द्वारा यथासंभव पीठासीन अधिकारी के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान उक्त विशेष अवकाश हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जावे। साथ ही आपस में सामंजस्य रखते हुए, इस प्रकार अवकाश लिया जावे कि न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हो।

3- अवकाश पीठासीन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा अनुशंसित अवधि का ही दिया जावेगा, किंतु पीठासीन/प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा के बाद ही अवकाश इस प्रकार स्वीकृत किया जावेगा कि जिससे न्यायालय/अनुविभाग के दैनिक कार्य प्रभावित न हो।

4- अवकाश आवेदन पत्र बार-बार परिवर्तित कर संशोधन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

5- पीठासीन अधिकारीगण/प्रभारी अधिकारीगण को भी सूचित किया जाना उचित होगा कि उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण के आवेदन पत्र इस प्रकार अग्रेषित/अनुशंसित करें, कि स्वयं के अवकाश काल में प्रत्येक दशा में न्यायालय में प्रस्तुतकार/क्रिमिनल रीडर एवं स्टेनोग्राफर/साक्ष्य लेखक में से कोई एक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, जिससे न्यायालय का कार्य प्रभावित न हो। इसी प्रकार अनुविभागों में भी कार्य की सुविधा के अनुसार एक अथवा अधिक कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें।

6- तहसील न्यायालय खाचरौद/नागदा/बडनगर/महिदपुर/तराना में नजारत अनुविभाग एवं प्रतिलिपि अनुविभाग में पदस्थ नायब नाजिर/सहायक प्रतिलिपिकार के अवकाश अवधि में उनके कार्य किसके द्वारा संपादित किया जावेगा, इसका उल्लेख अवकाश आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से करें।

7- ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में विशेष अवकाश के पूर्व में अथवा पश्चात् में (अपरिहार्य कारण को छोड़कर) अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

8- **दिनांक 08.05.2025** के पश्चात् अपरिहार्य कारण को छोड़कर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेगें तथा एक बार आवेदित अवकाश स्वीकृत हो जोन के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

9- नैमेत्तिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों एवं ऐसे तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी **परिवीक्षा अवधि न्यूनतम 02 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है,** को ग्रीष्मकालीन अवकाश/विशेष अवकाश की पात्रता नहीं होगा।

10- साथ ही न्यायालय/अनुविभाग में पदस्थ समस्त कर्मचारीगण **सामुहिक रूप से एक साथ एकत्र कर अवकाश आवेदन पत्र कार्यालय में प्रेषित करें, पृथक-पृथक आवेदन मान्य नही किये जावेंगे।**

इस आदेश का पालन किया जावें।

(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)

-5 MAY 2025

पृष्ठा.कमांक– 4583 /दो–12–13/25 (फा.45) उज्जैन, दिनांक..........मई, 2025

प्रतिलिपि –

1. समस्त पीठासीन/प्रभारी अधिकारी, जिला मुख्यालय उज्जैन एवं तहसील मुख्यालय खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. जिला नाजिर, उज्जैन/नायब नाजिर, खाचरौद/नागदा/बड़नगर/महिदपुर/तराना की ओर **समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परिचालन** कराये जाने हेतु प्रेषित ।
3. श्रीमती कृतिका अष्ठाना, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि उपरोक्त परिपत्र की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण के ई–मेल आई.डी./व्हाट्स–अप पर प्रेषित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)